BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 31 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त तेजवीर पुत्र पूसा सिंह निवासी भवन रोड देवीपुरा प्रथम(हालपता-ज्योति स्वीट शिवम चौराहा) थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2010 में अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान में खाद्य पदार्थ में मिलावट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.01.2010 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-37/10 धारा 272,273 भादवि व 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 18.01.2010 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 31.01.2025 को न्यायाधीश श्री मंजीत सिंह श्योराज (मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तेजवीर को 03 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुरेन्द्र सिंह चौहन, श्री मनुराज सिंह व श्री अरूण कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।